उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0),प्रथम तल, नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा, देहरादून
फोन–0135–2641119 फैक्स–2641314 **Website : www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@rediffmail.com**

<u>जन सूचना</u>

प्रारूप विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012

आयोग द्वारा, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 सपठित धारा (1)(g) सपठित सह–धारा (2)(zg) तथा धारा 181 के सपठित धारा (2)(zp) के अधीन प्रदत्त भाक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी भाक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) विनियम, 2002 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित करता है। उक्त प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in पर अपलोड किये गये है।

अधिनियम की धारा 181 की सह–धारा (3) के अन्तर्गत प्रारूप विनियम पर सभी स्टेकहोल्डर अपने सुझाव/आपत्तियां दिनांक 20.12.2012 तक अधोहस्ताक्षरी को पत्र अथवा ई–मेल के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते है।

आयोग उक्त विनियम को अन्तिम रूप देते समय, निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों पर विचार नहीं करेगा।

वि0सं0: 21/12–13 **सचिव**

10x8cm